

Only for: Will/Attorney/Lease/Adoption & Correction Deed

1120
2020



किरायानामा (Lease Deed)

(किरायेदारी की अवधि 29 वर्ष)

यह किरायानामा आज दिनांक 19-02-2020 को स्थान देहरादून श्री ^{क्रमांक A 14159} अनिल कुमार पुत्र स्व० श्री परसगम, निवासी मदन सं० सी.पी.ए. 2-3, ओल्ड आवास विकास कालोनी, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, पार्क के सामने, जिला मदारनपुर 247001 (उत्तर प्रदेश) (Aadhar Card No. 5445 9142 2580) (जिनको इस विलेख में प्रथमपक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है)।

JanP

.....प्रथमपक्ष

ने

श्रीमती पुनम घमपली श्री अनिल कुमार, निवासी मदन सं० 3 इन्वॉयरोल इस्टेट मनराईज रिजोर्ट्स, बालाहटगार, मगूरी, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) (Aadhar Card No. 8887 3944 3976) (जिनको इस विलेख में द्वितीयपक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है) के पक्ष में अंकित, हस्ताक्षरित व निष्पादित किया।

.....द्वितीयपक्ष

के पक्ष में स्थान देहरादून में सम्पादित किया गया।

किरायेदारी की समयवधि	:-	29 वर्ष
कुल 29 वर्ष का किराया	:-	अंकन 31,800.00 रुपये
एक वर्ष का औसत किराया	:-	अंकन 1096.55 रुपये
छः वर्ष का औसत किराया	:-	अंकन 6,600.00 रुपये
कुल स्टाम्प शुल्क देय	:-	अंकन 200.00 रुपये



हरियाणा शासन

Online Public Data Entry Summary



DISTRICT NAME : रोहतास SRO : रोहतास

UKPDE2020045105778

19-Feb-2020

12:59:26PM

Appointment Date: 19 Feb 2020

Appointment Time: 12:30 p.m to 1:30 p.m

Appointment TokenNo:5

Deed/Article Type : Lease

Sub-Deed/Sub-Article : Lease(Not Exceeding 30 years)

Village/Location For Index : बालीगढ़ क्षेत्र (रेगी बंद में बालीगढ़ मार्ग की मजूके सम्पत्तियों हेतु, बालाहिसार मार्ग पर बालाहिसार के पधान

Village/Location/Road Selected for Circle RateList : बालीगढ़ क्षेत्र (रेगी बंद में बालीगढ़ मार्ग की मजूके सम्पत्तियों हेतु, बालाहिसार मार्ग पर

Khewat : 0 Khatoni :

Khasra :

House/Flat No: Plot no.3

Area : 16.72 वर्ग मीटर

Latitude : Longitude 0.0000000000

Land Value : 31,800.00 Construction Value : 0.00

Transaction Value : 31,800.00 Market Value : 0.00

Advance : 0.00 Lease Period : 29.00 Avg. Rent : 91.38

Stamp Duty : 200.00 Regn Fees : ~~65.00~~ 40.00





Words : 1,000 Page : 22

स्वतन्त्राधिक निर्माण का विवरण					
क्र.सं	निर्माण का प्रकार	रकबा			
आवासीय निर्माण का विवरण					
क्र.सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तब	इस वर्ष	रकबा

Appointment Date: 19 Feb 2020

Appointment Time: 12:30 p.m to 1:30 p.m

Appointment TokenNo: 5

<u>पक्षकारों का विवरण</u>						
पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	भोवाएल नं	पहचान पत्र संख्या
बिक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री स्व परमराम निवासी भवन नंबर सी० पी० ए० २-२, अंधा आवास विकास बालोनी, परिसर अफिम के पास, पार्क के साथ में, जिला महाराजपुर २४३००१		OTHERS		0	ADHAAR : 5445 9142 2580
बिक्रेता / द्वितीय पक्ष	श्रीमती पुनम पत्नी श्री अनिल कुमार निवासी भवन नंबर ३, इन्वार्ड गेट एस्टेट सतगांधर रिमार्दरी, बाबाहिमार, समुरी, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड		OTHERS		0	ADHAAR : 8887 3644 3076
गवाह	श्री सचिन गुप्ता पुत्र श्री पवन कुमार गुप्ता निवासी ७० सी० एम० एम० रोड देहरादून, उत्तराखण्ड		OTHERS		0	ADHAAR : 4825 0755 7101
गवाह	श्रीमती शशि गुप्ता पत्नी श्री पवन कुमार गुप्ता निवासी ७० सी० एम० एम० रोड देहरादून, उत्तराखण्ड		OTHERS		0	ADHAAR : 6980 9970 0430

Deed Writer / Advocate Name : ADV RAHUL GUPTA



भारत सरकार
Government of India



Shashi Gupta
जन्म तिथि / DOB: 16/10/1956
लिंग / GENDER: महिला / FEMALE
Mobile No.: 8077316154



8980 9970 0430

मेरा आधार, मेरी पहचान
Shashi

भारत सरकार
Government of India



**अनिल कुमार
Anil Kumar**
जन्म तिथि/DOB: 15/08/1962
पुल्ल / MALE



5445 9142 2580
VID: 9183 7274 7094 1584

मेरा आधार, मेरी पहचान

Anil

भारत सरकार
Government of India



Sachin Gupta
Date of Birth/DOB: 07/03/1978
Male/ MALE



4825 0755 7101

मेरा आधार, मेरी पहचान
Sachin

भारत सरकार
Government of India



**पुनम
Poonam**
जन्म तिथि/DOB: 12/05/1964
महिला FEMALE



8887 3644 3076
VID: 9113 6965 6714 6028

मेरा आधार, मेरी पहचान
Poonam

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA




Address:
W/O Pawan Kumar Gupta, 70, G M S
Road, Seema Dwar, Dehradun,
Dehradun, Uttarakhand - 248001



QR Code with Photograph
Generation Date: 28/03/2018

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in P.O. Box No 1347, Bangalore 560 001

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



पता:
S/O Paras Ram, house no. CPA 2 - 3, old
Bala vikas colony, near forest
office opp park, Saharanpur, Saharanpur,
Uttar Pradesh - 247001



5445 9142 2580
VID: 9183 7274 7094 1584

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India




Address:
S/O Pawan Kumar Gupta, 70, GMS Road,
Dehradun, Dehradun,
Uttarakhand - 248146




4825 0755 7101

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



पता:
अनिल कुमार, एच न 3, सन राइज रेसोर्ट्स इन्वर्नल
एस्टेट बाला हिसर, मुसोरी, देहरादून,
उत्तराखण्ड - 248179



Address:
C/O Anil Kumar, H No 3, Sun Rise Resorts
Invernal Estate Bala Hisar, Mussoorie,
Dehradun,
Uttarakhand - 248179



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK63391504166692S
Certificate Issued Date : 19-Feb-2020 11:37 AM
Account Reference : NONACC (SV)/ uk1317004/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK131700429477226513302S
Purchased by : SMT POONAM
Description of Document : Article 35 Lease
Property Description : ENVIROL ESTATE MUSSOORIE
Consideration Price (Rs.) : 6,600
(Six Thousand Six Hundred only)
First Party : ANIL KUMAR
Second Party : SMT POONAM
Stamp Duty Paid By : SMT POONAM
Stamp Duty Amount(Rs.) : 200
(Two Hundred only)



VARUN BHARTI
E-STAMP-VENDOR
COURT COMPOUND, D.DUN

.....Please write or type below this line.....

Anil

Poonam

SR 0006756530



Anil

(अनिल कुमार)
प्रथमपक्ष



Poonam

(श्रीमती पूनम)
द्वितीयपक्ष

किरायानामा (Lease Deed)

यह किरायानामा आज दिनांक 19-02-2020 को स्थान देहरादून श्री अनिल कुमार पुत्र स्व0 श्री परसराम, निवासी भवन सं0 सी.पी.ए. 2-3, ओल्ड आवास विकास कालोनी, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, पार्क के सामने, जिला सहारनपुर 247001 (उत्तर प्रदेश) (जिनको इस विलेख में प्रथमपक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है);

.....प्रथमपक्ष

ने

श्रीमती पूनम धर्मपत्नी श्री अनिल कुमार, निवासिनो भवन सं0 3 इनवाइरोल इस्टेट सनराईज रिसेट्टर्स, बालाडिस्सर, मसूरी, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) (जिनको इस विलेख में द्वितीयपक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है) के पक्ष में अंकित, हस्ताक्षरित व निष्पादित किया।

.....द्वितीयपक्ष

विदित हो कि प्रथमपक्ष इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि के एकमात्र स्वामी व अध्यासी है। प्रथमपक्ष का नाम शासकीय अभिलेखों में बतौर स्वामी विधिवत् प्रविष्ट है। प्रथमपक्ष को इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति को किराये (लीज) पर देने के सम्पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी विधिक अधिकार प्राप्त है।

विदित हो कि प्रथमपक्ष का स्वामित्व इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति के विषय में पवित्र है। इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति किसी विवाद में तथा किसी न्यायालय के विवाद में गृहित नहीं है। सम्पत्ति स्पष्ट स्वामित्व की है। प्रथमपक्ष का स्वामित्व व अध्यासन स्वच्छ है।

Anil

Poonam

विदित हो कि द्वितीयपक्ष इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति को 29 वर्ष की अवधि के लिए किराये पर लेना चाहते हैं तथा प्रथमपक्ष भी इस सम्पत्ति को उक्त अवधि के लिए किराये पर देने के लिए तैयार हैं। अतः पक्षकारों के मध्य वर्तमान किरायेनामा अंकित, हस्ताक्षरित व निष्पादित किया जाता है, जो निम्न प्रकार साक्ष्यांकित है :-

- [1] यह कि पक्षकारों के मध्य इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति दिनांक 01-02-2020 को 29 वर्ष अर्थात् दिनांक 31-01-2049 तक के लिए किराये पर दिया जाना निर्धारित किया गया है।
- [2] यह कि प्रथमपक्ष द्वारा इस सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा दिनांक 01-02-2020 को द्वितीयपक्ष को सौंप दिया गया है। द्वितीयपक्ष इस सम्पत्ति में होम स्टे का संचालन करेंगी, जिसमें प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।
- [3] यह कि द्वितीयपक्ष को अधिकार प्राप्त है कि वह उत्तराखण्ड पर्यटन से इस विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति में 'होम स्टे' संचालित करने हेतु अनुमति व लाईसेन्स प्राप्त करे। इसी क्रम में शॉर्ट टर्म अनुमति लेकर द्वितीयपक्ष इस सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति, सोसायटी, इन्स्टीट्यूट को भी किराये पर दे सकती है तथा उनसे निर्धारित किराया प्राप्त कर सकती है। यदि द्वितीयपक्ष को इस सम्पत्ति के सन्दर्भ में 'ओयो' अथवा किसी अन्य कम्पनी की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है अथवा इस कम्पनी से किसी प्रकार के संबंधों करने की आवश्यकता पड़ती है, तो द्वितीयपक्ष ऐसा संविदा व अनुमति कम्पनी से प्राप्त कर सकती है। किसी प्रकार के अतिथि/किरायेदार/द्वितीयपक्ष द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड नियमावली 2015 व 2016 (समय-समय पर संशोधित) का अनुपालन किया जायेगा। द्वितीयपक्ष को अधिकार प्राप्त है कि इस सम्पत्ति का मानचित्र सक्षम प्राधिकरण से विधिवत् स्वीकृत कराये।
- [4] यह कि किरायेदारी वाली सम्पत्ति से सन्दर्भित व सम्बन्धित विजली, पानी, सीवरेज का बिल व सम्पत्ति कर/शासकीय कर/सर्विस टैक्स व शासन द्वारा निर्धारित अन्य जो भी कर होगा, उसको द्वितीयपक्ष स्वयं वहन करेंगी जो कि किरायेदारी की धनराशि से अलग होगा।
- [5] यह कि पक्षकारों के मध्य यह निर्धारित हुआ है कि द्वितीयपक्ष वर्तमान किरायेनामों के माध्यम से निर्धारित समयसीमा 29 वर्ष से पूर्व सम्पत्ति को रिक्त नहीं करेंगी और यदि द्वितीयपक्ष ऐसा करती है, तो समयावधि से पूर्व सम्पत्ति से निष्कासित होने की दशा में द्वितीयपक्ष एक वर्ष का अतिरिक्त किराया प्रथमपक्ष को अदा करने हेतु बाध्य होंगे।
- [6] यह कि वर्तमान किरायेदारी की समयसीमा 29 वर्ष है। यदि द्वितीयपक्ष निरन्तर दो वर्ष तक किराया देने में असमर्थ रहती है, तो उस दशा में वर्तमान किरायेदारी समाप्त हो जायेगी तथा समाप्त समझी जायेगी। इस दशा में प्रथमपक्ष को अधिकार होगा कि वह अपनी इस सम्पत्ति का वास्तविक रिक्त अध्यासन प्राप्त कर ले तथा द्वितीयपक्ष को अपनी इस सम्पत्ति से निष्कासित कर दे, इस सन्दर्भ में द्वितीयपक्ष किसी प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही करने के हकदार नहीं होंगे।

Hand

Poojari

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 1120 वर्ष 2020

Lease Lease(Not exceeding 30 years)	नजराना रु0 : 0.00	औसत वार्षिक किराया रु0 : 0.00	कुल योग रु0 270.00	शब्द लगभग 1,000
रजिस्ट्रेशन शुल्क रु0 40.00	प्रतिलिपि शुल्क रु0 10.00	इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुल्क रु0 220.00		

श्रीमती पूनम पत्नी श्री अनिल कुमार निवासी भवन नंबर ३, इन्वाइरोल एस्टेट सनराइज रिसोर्ट्स, बालाहिसार, मसूरी, जिला देहरादून, उत्तराखंड ने आज दिनांक 19 Feb 2020 समय मध्य 1PM व 2PM को कार्यालय उपनिबन्धक देहरादून, चतुर्थ में प्रस्तुत किया।



Poonam
पूनम

उपनिबन्धक
देहरादून, चतुर्थ
19-Feb-2020

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख में लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री अनिल कुमार पुत्र श्री स्व परसराम निवासी भवन नंबर सी० पी० ए० २-३, ओल्ड आवास विकास कालोनी, फॉरिस्ट ऑफिस के पास, पार्क के सामने, जिला सहारनपुर २४७००१ \ ने नजराना मुबलिया रु0 0.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन द्वितीय पक्ष श्रीमती पूनम पत्नी श्री अनिल कुमार निवासी भवन नंबर ३, इन्वाइरोल एस्टेट सनराइज रिसोर्ट्स, बालाहिसार, मसूरी, जिला देहरादून, उत्तराखंड \ ने भी स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री सचिन गुप्ता पुत्र श्री पवन कुमार गुप्ता निवासी ७० जी० एम० एस० रोड देहरादून, उत्तराखंड तथा श्रीमती शशि गुप्ता पत्नी श्री पवन कुमार गुप्ता निवासी ७० जी० एम० एस० रोड देहरादून, उत्तराखंड ने की।



उपनिबन्धक
देहरादून, चतुर्थ
19-Feb-2020

- [7] यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा यदि पक्षकारों के मध्य प्रस्तुत अनुबन्ध में स्थापित व्यवस्था एवं शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रथमपक्ष को अधिकार होगा कि वह प्रस्तुत किरायेनामें को रद्द कर, एक माह का नोटिस देकर, इस सम्पत्ति को रिक्त करा ले तथा देय किराया वसूल ले, जिसमें द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।
- [8] यह कि प्रस्तुत किरायेनामें में पक्षकारों के वर्णित पते पर पंजीकृत पावती से प्रेषित सूचना पत्र को सदैव पर्याप्त तामील माना जायेगा।
- [9] यह कि द्वितीयपक्ष निम्नवर्णित सम्पत्ति में मांस-मदिरा की दुकान, शराब की दुकान व किसी भी प्रकार के नशे के क्रय-विक्रय का व्यवसाय तथा अन्य कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं करेंगे। ऐसी दशा में समस्त असंवैधानिक कार्यों के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे, यदि सरकार, विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का दण्ड, अर्थदण्ड लगेगा, तो उसका उत्तरदायी द्वितीयपक्ष होगा, इसके लिए प्रथमपक्ष किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे, जो कि द्वितीयपक्ष को स्वीकार है।
- [10] यह कि निम्नवर्णित सम्पत्ति की वावत देय बिजली व पानी के बिल का भुगतान द्वितीयपक्ष द्वारा सम्पत्ति में संयोजित सब-मीटर की रीडिंग के अनुसार अदा किया जायेगा।
- [11] यह कि प्रथमपक्ष को अधिकार होगा कि वह निम्नवर्णित सम्पत्ति का समय-समय पर निरीक्षण आदि कर सकते हैं, जिसमें द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।
- [12] यह कि द्वितीयपक्ष निम्नवर्णित सम्पत्ति में किसी प्रकार की कोई तोड़-फोड़ अथवा मरम्मत बिना प्रथमपक्ष की लिखित अनुमति के नहीं करेंगे और न ही इसका कारण बनेंगे।
- [13] यह कि द्वितीयपक्ष उपरोक्त शर्तों के अधीन नियत समयावधि पर निम्नवर्णित सम्पत्ति पर वतौर द्वितीयपक्ष व्यापार करने हेतु अधिकृत रहेंगे, इसमें प्रथमपक्ष किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।
- [14] यह कि वर्तमान किरायेनामें में 29 वर्ष की समयावधि निर्धारित हुई है। सम्पत्ति का प्रथम 15 वर्ष का कुल किराया अंकन 1,000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से अंकन 15,000/- रुपये निर्धारित हुआ है तथा शेष 14 वर्ष का कुल किराया अंकन 1,200/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से अंकन 16,800/- रुपये निर्धारित हुआ है। इस प्रकार 29 वर्ष का कुल किराया अंकन 31,800/- रुपये निर्धारित होता है। एक वर्ष का औसत किराया अंकन 1096.55 रुपये निर्धारित होता है। चूंकि यह सम्पत्ति

Amep

Poonam

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 1120 वर्ष 2020



Anil

अनिल कुमार



Poonam

पूनम



Sachin

सचिन गुप्ता



Shashi

शशि गुप्ता



प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देहरादून, चतुर्थ
19 Feb 2020

29 वर्ष के लिए किराये पर दी जा रही है, इसलिए शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में छः वर्ष का औसत किराया अंकन 6,600/- रुपये निर्धारित होता है, जिस पर नियमानुसार दो प्रतिशत की दर से अंकन 200/- रुपये का स्टाम्प शुल्क वजरिये ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र सं० IN-UK63391504166692S दिनांकित 19-02-2020 के माध्यम से समर्पित किया गया है। मूल ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र वर्तमान किरायेनामों के साथ संलग्न है।

- [15] यह कि प्रस्तुत किरायेनामों का निष्पादन व पंजीकरण का कुल व्यय द्वितीयपक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
- [16] यह कि वर्तमान किरायेनामों की समयसीमा व्यतीत होने के उपरान्त नयी शर्तों के अनुसार पक्षकारों द्वारा नवीनतम किरायानामा अंकित किया जायेगा तथा उसको विधिवत् पंजीकृत कराया जायेगा।
- [17] यह कि प्रश्नगत सम्पत्ति की किरायेदारी प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को प्रदान की गयी है। किरायेदारी की समयसीमा के दौरान यदि प्रथमपक्ष का निधन हो जाता है, तो दशा में प्रथमपक्ष के परिवार सदस्य अर्थात् उनके उत्तराधिकारी, वारिसान, आदि-आदि, जो भी होंगे, उनको द्वितीयपक्ष प्रश्नगत सम्पत्ति की किराये की धनराशि प्रतिवर्ष नियमानुसार अदा करेंगी।
- [18] यह कि प्रथमपक्ष की सम्पत्ति यदि किसी प्रकार की आपदा के कारण, अग्नि, भूकम्प, बाढ़ व विवाद आदि अथवा किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त होती है, तो उस दशा में प्रथमपक्ष व उसके परिवार के किसी भी सदस्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- [19] यह कि इस किरायेनामों में शब्द प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष में उनके वारिसान, उत्तराधिकारी, हित प्रतिनिधि आदि आदि समान रूप से सम्मिलित समझे जायेंगे।

विवरण सम्पत्ति


द्विमंजिला कॉटेज जो कि प्लॉट नं० 3 में निर्मित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 130.48 वर्गमीटर है एवं कार पार्किंग का क्षेत्रफल 180 वर्गफुट अर्थात् 16.72 वर्गमीटर है (छत के अधिकारों सहित), स्थित "इनवार्डरोल इस्टेट सनराईज़ रिसोर्ट्स", मसूरी, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)।




Poonam

प्रथमपक्ष का नाम :- श्री अनिल कुमार

(Left Hand) बाँये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह



(Right Hand) दाँये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह



द्वितीयपक्ष का नाम :- श्रीमती पूनम

(Left Hand) बाँये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह




(Right Hand) दाँये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह




अनिल


Poonam

अतः यह किरायानामा आज दिनांक 19-02-2020 को स्थान देहरादून में प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष ने साक्षीगण के समक्ष अंकित कर हस्ताक्षरित कर दिया है, ताकि सनद रहे और समयानुसार काम आवे।


(अनिल कुमार)
प्रथमपक्ष



(श्रीमती पूनम)
द्वितीयपक्ष

साक्षीगण :-

1- 
श्री सचिन गुप्ता
पुत्र श्री पवन कुमार गुप्ता
निवासी 70 जी0एम0एस0 रोड
देहरादून, उत्तराखण्ड।
(Aadhar No. 4825 0755 7101)

2- 
श्रीमती शशि गुप्ता
धर्मपत्नी श्री पवन कुमार गुप्ता
निवासी 70 जी0एम0एस0 रोड
सीमाद्वार, देहरादून, उत्तराखण्ड।
(Aadhar No.8980 9970 0430)

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों तथा बताये गये तथ्यों के आधार पर इस प्रपत्र की रचना की गयी। पक्षकारों ने स्वयं के चित्रण स्वयं पुष्ट किये तथा साक्षीगणों ने वर्तमान किरायानामे के सम्पूर्ण तथ्यों को पढ़ व समझकर वर्तमान किरायानामे में चतौर साक्षीगण अपनी स्वेच्छा से हस्ताक्षर अंकित किये हैं एवं साक्षीगण द्वारा प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष की पहचान की गयी।

रचयिता :- 
राहुल गुप्ता, एडवोकेट, कोट कम्पाउण्ड, देहरादून (उत्तराखण्ड)।

बही संख्या 1 जिल्द 5,090 के पृष्ठ 247 से 268 पर क्रमांक 1120

पर आज दिनांक 19 Feb 2020 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।



रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देहरादून, चतुर्थ
19 Feb 2020